कार्यालय नगर निगम, पूर्णियाँ।

फार्म–VIII "क"

(भवन परमिट हेतु अनुमोदन फार्म)

उपविधि संख्या–8 (4)

आवेदन संख्या–180/2024–25, दिनांक–18-5-24 के संदर्भ में **सरदार दलजीत सिंह बिरदी एवं सरदार रंजीत सिंह पिता–स्व0 अमरीक सिंह बिरदी, श्रीमति रेणु देवी पति–स्व0 रामाशंकर सिंह, श्री शिवशंकर सिन्हा पिता–स्व0 कामेश्वर प्रसाद महत्तो मोहल्ला–शिव शाक्तिनगर मरंगा ,पूर्णिया, वार्ड नं0–10,** जिला–पूर्णियाँ के लिए

(क) **B+G+7 (व्यवसायिक–सह– आवसीय) भवन के निर्माण**

(ख) भवन के पुननिर्माण

(ग) भवन के परिवर्तन

(घ) विद्यमान भवन में परिवर्तन या परिवर्घन

(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्त्तन

पूर्णियाँ नगर निगम पूर्णिया/बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना विकास योजना/आयोजन प्राधिकार/आयोजना स्कीम के **मौजा–मरंगा, एम0एस0पी प्लौट नं0–1277 खाता संख्या–1665, होल्डिंग संख्या–413, 414 गाँव पूर्णियाँ, मोहल्ला–शिव शाक्तिनगर मरंगा, वार्ड नं0–10** के बावत निम्नलिखित शर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है:–

14. **प्रस्तावित भवन का उपयोग व्यवसायिक–सह–आवसीय के रूप में प्रयोजन के लिए किया जाएगा** और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नही किया जायेगा।

15. विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **1065.10 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान** खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जायेगा।

17. प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **एन०एच०–31 (160 फीट) मीटर चौड़ाई** के अनुमोदित पहूँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

18. प्रश्नगतभूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा कें अवश्य हो।

19. सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या मानक बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधिनस्थ पूर्णियाँ **नगर निगमों क्षेत्र/आयोजना क्षेत्र में 1.5 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।**

20. अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से **पाँच वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य** होगी।

21. इस उपबंध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक हित की बाबत साक्ष्य नही मानी जाएगी।

22. योजना के अनुमोदन के पश्चात भू–अभिलेख के कारण का अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

23. पूर्व से निर्मित भवन को तोड़कर 6 (छः) माह के अंदर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप निर्माण नहीं करने पर स्वीकृत नक्शा स्वतःरद्द समझा जायेगा।

24. प्रस्तावित स्थल पर भवन निर्माण कराते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि आस–पड़ोस के भवनों पर किसी प्रकार का कोई क्षति नहीं पहुँचे एवं ग्रीन शीट से ढ़क कर ही निर्माण कार्य कराना सुनिश्चित करें।

25. प्रस्तावित भवन भूकम्प रोधी तकनीक पर बने एवं उच्च गुणवत्ता युक्त हो, ताकि भूकम्प के प्रभाव नहीं पड़ सकें।

26. कोई अन्य शर्त, जो बिहार भवन उपविधि 2014 एवं संशोधित भवन उपविधि 2022 में उपबंधित हो।

उपरोक्त शर्तों के साथ उक्त भवन मानचित्र की स्वीकृति दी जाती है।

कार्यालय नगर निगम पूर्णियाँ

नगर आयुक्त,
नगर निगम, पूर्णियाँ।